Request - 95

पत्रांकः3229 वे०प०प्र० / न्यायिक / ई०आर०पी० / ....

प्रेषक,

अपर निदेशक,
शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ०प्र०,
नवीन कोषागार भवन कचेहरी रोड,इलाहाबाद ।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
[illegible] ।   दिनांकः 17 अक्टूबर,2013

विशयः— उ०प्र०न्यायिक सेवा अधिकारियों को विधि स्नातकोत्तर उपाधि के उपलक्ष्य में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 14344/IV f 82(loose) Admin (A), Dated 09.102013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो इस कार्यालय को सम्बोधित तथा सम्बधित अधिकारियों के साथ–साथ जनपद न्यायाधीश को पृष्ठांकित है । इस पत्र के द्वारा 12 समूह 'क' श्रेणी के न्यायिक अधिकारियों जिनकी चयन उपरान्त कार्यभार ग्रहण तिथि दिनांक 21.03.2002 या उसके पश्चात है को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी है । आपके जनपद में कार्यरत न्यायिक अधिकारी श्री / श्रीमती / कु० [illegible] को दिनांक [illegible] से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी है । देयता की तिथि को अधिकारी समूह 'ख' श्रेणी में कार्यरत .... जिनका वेतन निर्धारण जनपद न्यायाधीश के स्तर से ही की जानी है (शिविर कार्यालय द्वारा समूह 'क'श्रेणी के न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारियों की वेतन पर्ची जारी की जाती है) । सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार तीन अग्रिम वेतन वृद्धि सहित वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ शिविर कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें जिससे शिविर कार्यालय द्वारा समूह 'क' श्रेणी की वेतन पर्ची जारी की जा सके ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आर०एस० पाण्डेय)
अपर निदेशक ।

पृ०प० संख्या व दिनांक उपर्युक्त ।

प्रतिलिपिः—महानिबन्धक,माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 14344/IV f 82(loose) Admin (A), Dated 09.102013 के कम में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर०एस० पाण्डेय)
अपर निदेशक ।

DR(M)

26 OCT 2013

So Adm HIA

DR(M)

~~S.O.~~ /A.R. (Admin. A-I) /D.R. (M)

This serial is endorsed to this Court for information only. May file?

Mishra
11.11.2013
ARO

File
[signature]
12/11

[signature]
12/11/13

[signature]
12-11-13
A

Scottcal 1-7-13 Encl-@page

2-7-13

10820

Reg
File IV/3115
Serial 115

R-0945
26-8-2013

1593

5/7/13

6-5-13

8
29-10-13

Request-95

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,

मुरादाबाद।

सेवा में,

निबन्धक,(बजट)

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

पत्रांकः–703/13 (प्रशा0) मुरांदाबाद। दि0–15-6-13

विषयः–उ0प्र0 न्यायिक सेवा के विधि स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियॉ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0 7419/IV एडमिन (ए) दिनांकित 25.05.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके संदर्भ में जनपद न्यायालय मुरादाबाद के बाह्य न्यायालय, चन्दौसी में कार्यरत श्रीमति अंजना, ए0सी0जे0एम0 का प्रार्थना पत्र आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखने की कृपा करें।

02 1841 S.O. Adm. H(A)

DR (M) 29-6-13

भवदीय

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,

मुरादाबाद।
15/06/13

16

J.R.M. (wen)

23 JUN 2013

S.O./A.R.(Admin. A-D)/D.R.(M)

Three advance increments has already been sanctioned through Court's letter dated 09.10.2013 at flag 'A'.

May file?

Supdt. Anand Rajput

30/10/13

file

31/X

30-10-2013
ARO.

31/10/13

31-10-13
AR

Request - 95

प्रेषकः—अंजना ,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौसी।

सेवा में ,
माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

बिषयः—माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-7419/IV—एडमिन(ए) दिनॉकित 25—05—13 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यार्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्वियां प्रदान किये जाने हेतु बांछित नाम के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त बिषय के संबंध में सादर निवेदन है कि मैने इस न्यायिक सेवा में दिनॉक 02—01—2004 को कार्य भार ग्रहण कर न्यायिक सेवा प्रारम्भ की है ।

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 1363/दो—4—09—43—(12)/91 टी0सी0 नियुक्ति विभाग ,दिनॉक 13—05—09 के अनुसार ऐसे न्यायिक अधिकारियों जिनकेद्वारा विधि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की गयी है,उन्हें तीन अग्रिम वेतन वृद्वियां प्रदान की जानी है।

श्रीमानजी मैने बर्ष 1999 में विधि स्नातकोत्तर (एल0एल0एम0)की उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्राप्त की है। अतः मैने इस न्यायिक सेवा में पद भार ग्रहण करने से पूर्व विधि स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर ली थी।

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 1705/दो—4-2011-45—(12)/91 टी0सी0 दिनॉकित 03—01—12 के द्वारा उक्त तीन वेतन वृद्वियां प्रदत्त किये जाने की बाबत शर्तो के अनुरूप मैने दिनॉक 21—03—02 के बाद अर्थात दिनॉक 02—01—04 को न्यायिक सेवा प्रारम्भ की है और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा के आवेदनपत्र में भी अपनी विधि स्नातकोत्तर उपाधि को दर्शित किया था ।

अतः श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार मुझे तीन अग्रिम वेतन वृद्वियां प्रदान किये जाने हेतु उपरोक्त पत्रांक के परिप्रेक्ष्य में मेरा नाम संबंधित सूची में वर्णित कर ,माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित करने की कृपा करें।

सादर ।

दिनॉकः 07—06—13

संलग्नकः विधि स्नातकोत्तर उपाधि
की स्वःप्रमाणित प्रति ।

भवदीया,
Anjana 07.6.13
(अंजना)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौसी (मुरादाबाद)

क्रमांक / Serial No.	नामांकन सं. / Enrolment No.	अनुक्रमांक / Roll No.
501439	M 8908550	L554068

REQUEST – 95

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

यत्र सत्यस्य परमं निधानम्

विधि निष्णात

प्रमाणित किया जाता है कि (कु०) अन्जना

को इस विश्वविद्यालय से सन् १९९९ की परीक्षा में **विधि निष्णात** की

उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्रदत्त की गयी है।

MASTER OF LAWS

This is to certify that Km. Anjana

has been conferred the Degree of **MASTER OF LAWS** *of this University in the Examination of* 1999 *and that he / she was placed in* Second *Division.*

Self Attested
Anjana
07/6/13

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Dated 30.06.2000

कुलपति
Vice-Chancellor

(1364)

REQUEST-95

By Regd. Post

S.O. (Admin. H)

Original Orders are available in the main file (IV F82).
May file?
11.10.2013
ARO.

9/10/13

14-10-13
AR.

From,

Anant Kumar,
Registrar General,
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,

The Additional Director (Treasuries),
Camp Office, New Treasury Building,
Kutchery Road, Allahabad.

116 No. 14344/IV f 82(loose)/Admin.(A) dated: 09-10-2013

Subject: Grant of three advance increments to those Judicial Officers who have been selected on or after 21.03.2002 having two years degree of LL.M. from a recognized University.

Sir,

With reference to Government's Order No. 1363/II-4-2009-45(12)/91 TC dated 13.05.2009 (copy enclosed for ready reference), on the subject noted above, I am directed to say that on consideration of above G.O., the Court has been pleased to order that three advance increments with dearness allowance be allowed to the following eligible officers (his posting is mentioned with their names) from the date of their joining who has been selected on or after 21.03.2002 having two years degree of LL.M. from a recognized University.

1. Km. Nisha Srivastava, Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur.
2. Smt. Chitra Sharma, Additional Chief Judicial Magistrate, Hathras.
3. Smt. Shabistan Aquil, Deputy Director (Law), Competition Commission of India, New Delhi.
4. Smt. Anjana, Additional Chief Judicial Magistrate, Chandausi, Moradabad.
5. Smt. Somprabha Mishra, Additional Judge Small Causes Court, Lucknow.
6. Sri Rakesh Tripathi, Additional Chief Judicial Magistrate, Mathura.
7. Smt. Anamika Chauhan, Additional Chief Judicial Magistrate, Etawah.
8. Sri Krishna Chandra Pandey, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Aligarh.
9. Smt. Rima Bansal, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Bulandshahr.
10. Smt. Nupur, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Mathura.

Request 95

11. Sri Radhe Mohan Srivastava, Additional Chief Judicial Magistrate, Kunda, Pratapgarh.
12. Sri Chandra Shekhar Mishra, Adiitional Civil Judge (Sr. Div.)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly.

I am therefore to request you kindly to take necessary action in the matter for issuing necessary authority in favour of concerned officers mentioned above.

Yours faithfully,

Encl.- copy of G.O. dated 13.05.2009.

5/10/13

Registrar General

117 No. 14345 /IV f 82(loose)/Admin.(A) dated: 09-10-2013

Copy forwarded to The District Judges, Deoria/ Auraiya/ Farrukhabad/ Ghazipur/ Jhansi/ Etawah/ Balrampur/ Moradabad/ Fatehpur/ Aligarh/ Bulandshahr/ Chitrakoot/ Lalitpur/ Amroha/ KanshiramNagar/ Kannauj/ Firozabad/ Etah/ Kushinagar/ Varanasi/ Gonda/ Azamgarh with the information that on consideration of G.O. dated 13.05.2009(copy enclosed), the Court has been pleased to order that three advance increments with dearness allowance be allowed to the following eligible officers (his posting is mentioned with their names) from the date of their joining who has been selected on or after 21.03.2002 having two years degree of LL.M. from a recognized University and request you to take necessary action in the matter and also inform the concerned officers posted in your judgeship accordingly.

1. Sri Sushil Kumar-IV, Civil Judge (Jr. Div.), Deoria.
2. Sri Pradeep Kumar Mishra, Civil Judge (Jr. Div.), Auraiya.
3. Sri Omvir Singh II, Civil Judge (Jr. Div.), Farrukhabad.
4. Sri Tendra Pal, Civil Judge (Jr. Div.), Ghazipur.
5. Sri Manoj Kumar Siddhu, Civil Judge (Jr. Div.), Moth, Jhansi.
6. Sri Dinanath III, Judicial Magistrate., Etawah.
7. Sri Siddharth Kumar Wagav, Civil Judge(Jr. Div.)/Judicial Magistrate, Balrampur.
8. Sri Rakesh Singh, Civil Judge(Jr. Div.)/Judicial Magistrate, Utraula at Balrampur.
9. Sri Vikash Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Moradabad.
10. Sri Abul Kaish, Civil Judge (Jr. Div.), Fatehpur.
11. Sri Mayur Jain, Civil Judge (Jr. Div.), Bulandshahr.

Request-95

12. Sri Nusrat Khan, Civil Judge (Jr. Div.), Aligarh.
13. Sri Prashant Bilgaiyan, Judicial Magistrate, Chitrakoot.
14. Sri Raghubar Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Lalitpur.
15. Sri Anil Kumar Singh, Judicial Magistrate, Amroha.
16. Sri Alok Sharma, Civil Judge (Jr. Div.), Kanshiram Nagar.
17. Sri Saurabh Saxena, Civil Judge (Jr. Div.), Kannauj.
18. Sri Satyajeet Pathak, Civil Judge (Jr. Div.), Firozabad.
19. Sri Shailendra Verma, Civil Judge (Jr. Div.), Etah
20. Sri Vimal Prakash Arya, Judicial Magistrate, Kasya, Kushinagar.
21. Smt. Nisha Jha, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi.
22. Sri Shri Krishna Chandra Singh, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Gonda.
23. Sri Neeraj Kumar Bakshi, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Azamgarh.
24. Sri Rajaneesh Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Etawah.
25. Smt. Kalpana II, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Etah.

Ld. R. (B) :- Draft has been prepared under the verbal direction of Hon'ble Mr. Justice Sunil Ambwani. 118. (Sd/-) 28/09/13

Encl.- copy of G.O. dated 13.05.2009.

(Sd/-) 5/10/13
Registrar General

No. 14346 /IV f 82(loose)/Admin.(A) dated: 09-10-2013

Copy forwarded to The District Judges, Sultanpur/ Hathras/ Moradabad/ Lucknow/ Mathura/ Etawah/ Aligarh/ Bulandshahr/ Pratapgarh/ Bareilly with the request to inform the concerned officers, as mentioned above, posted in your Judgeship accordingly .

(Sd/-) 5.10.13
Deputy Registrar

D.R.(M) - Kindly see whether letter is in consonance of A.C resolution. (Sd/-) 28-9-13

No. 14347 /IV f 82(loose)/Admin.(A) dated: 09-10-2013

Copy forwarded for information to Smt. Shabistan Aquil, Deputy Director (Law), Competition Commission of India, New Delhi.

(Sd/-) 5.10.13
Deputy Registrar

Regr.(B) - May like to place the file before Ld. R.G. for issuance. (Sd/-) 27.9.13 D.R.(M)

Ld RG. Though the proposed draft is entirely different from the A.C. Resolution but as per office report it is prepared under oral direction of Hon'ble Mr. Justice Sunil Ambwani. (Sd/-) 28/09/13

S.O. / A.R.(Admin. A-D) D.R.(M)
Minutes of Hon'ble A.C. placed below. May like to issue?
(Sd/-) 26.09.2013 ARO

(Sd/-) 26-9-13 AR. 2093 Regd.

S.O.(Adm. A.U.) (Sd/-) 28/9/13 D.R.(M)

Approved. (Sd/-) 5/10/13

Request-95

By Regd.Post/E-mail

From,

District Judge,
Moradabad.

To,

Shri Rajeev Lochan Mehrotra,
Registrar (Budget),
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad.

No.702/2013 (Admin.) Moradabad: Dated: June, 15, 2013

Subject: **Grant of three advance increments to the selected candidates of Judicial Service in state of U.P. having Post Graduation in Law.**

Sir,

With reference to the Hon'ble Court's Letter No. **7419/IV /Admin. 'A' Dt. 25.05.2013**, on the above mentioned subject, I have to submit that the requisite information of this Judgeship is being sent herewith for kind perusal of the Hon'ble High Court.

Your's faithfully,

Encl.: As above.

(Vinod Kumar Yadav)
I/C District Judge
Moradabad. A.K.Rastogi
Admin Clerk
15/6/13

Providing information regarding Grant of three advance increments to the selected candidates of Judicial Service in state of U.P. having Post Graduation in Law in the Judgeship of Moradabad.

Sl. No.	Name of the Officers	Designation	ID No.	Qualification
1	Smt. Pallavi Agarwal	Addl. JSCC	6191	LLM. LLD.
2	Smt. Chhaya Nain	ACJ(Sr.D)-1	6280	LLM.
3	Sri Vikas Kumar	CJ(Jr.D)	6422	LLM.
4	Smt. Roopali Saxena	ACJ(Jr.D)-4	1524	LLM.
5	Sri Rohit Agarwal	ACJ(Jr.D)-3	1558	LLM.
6	Smt. Anjana	ACJM Chandausi	6138	LLM.
7	Smt. Madhu Gupta	ACJ(Jr.D)-1 Sambhal	1579	LLM.
8	Sri Kirti Kunal	ACJ(Jr.D)-2 Sambhal	1693	LLM.

Prepared by:-A.K. Rastogi Admin Clerk

(Vinod Kumar Yadav)
I/C District Judge
Moradabad
19/06/13

Sartal
3-4-12
Encl-6

प्रेषक,

सिविल जज(सी0डि0),
लखीमपुर खीरी।

S304
3115
114
Request-95

सेवा में,

मान्नीय महानिबन्धक,
मान्नीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा– मान्नीय जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

S.O.(Admin-H)
Implementation of G.O. dated 13.05.09 & 03.01.12 regarding grant of three advance increments to the Judicial officers on qualification of LL.M. is pending before Ld. R.G.
May await the orders of Ld. R.G.?
05.07.12 A.R.O.

विषयः– प्रथम राष्ट्रीय वेतन आयोग(शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मान्नीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांकित 21–3–02 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं वर्तमान समय में सिविल जज(सी0डि0),के पद पर जनपद लखीमपुर खीरी में नियुक्त हूं। मैनें इस न्यायिक सेवा में दिनांक 02–1–04 को कार्यभार ग्रहण किया था।

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0–1363/दो–4–09–45(12)/91 टी0सी0नियुक्ति विभाग, 4 दिनांक 13–5–09 के अनुसार ऐसे न्यायिक अधिकारियों जिनके द्वारा विधि से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की गयी है, उन्हें तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किया जाना है।

मैनें वर्ष 1995 में विधि स्नातक की उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्राप्त की थी तथा वर्ष 1999 में विधि स्नातकोत्तर (एल0एल0एम0) की उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्राप्त की है। मैनें इस न्यायिक सेवा में पद भार ग्रहण करने से पूर्व विधि स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर ली थी।

श्रीमानजी उ0प्र0सरकार के शासनादेश सं01705/दो–4–11–45(12)/91 टी0सी0 दिनांकित 03–1–12 के द्वारा उक्त तीन वेतन वृद्धियां प्रदत्त किये जाने की बाबत् शर्तो के अनुरूप प्रार्थिनी ने दिनांक 21–3–02 के बाद अर्थात् 02–1–04 को न्यायिक सेवा प्रारम्भ की है और उ0प्र0न्यायिक सेवा परीक्षा के आवेदनपत्र में भी अपनी विधि स्नातकोत्तर उपाधि को दर्शित किया था। प्रार्थिनी के द्वारा दिनांक 07–7–09 को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान कराये जाने हेतु श्रीमान्जी की सेवा में पूर्व में भी प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसकी छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

अतः श्रीमान्जी से सादर निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार मुझे तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने का आदेश पारित किये जाने की कृपा की जाये।

सादर।

1062
S.O. Admin. H/A
9.4.12
D.R.(M)
02-04-12

भवदीया,
23/3/12
(अंजना)
सिविल जज(सी0डि0),
लखीमपुरखीरी।

JR(M)
with Encl.

दिनांक 23–3–12

संलग्नक

1–शासनादेश दिनांकित 13–5–09 की छाया प्रति
2–शासनादेश दिनांकित 03–1–12 की छाया प्रति
3–पूर्व प्रेषित पत्र दिनांकित 07–7–09 की छाया प्रति
4–विधि स्नातकोत्तर उपाधि की प्रमाणित छाया प्रति

02 APR 2012

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर-खीरी
संख्या 317 / I-28-1 दिनांक 21-3-2012
अग्रसारित
जिला न्यायाधीश
लखीमपुर-खीरी।

Km. Anjana
5/7/12

Request-95

<u>संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टीसी</u>

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

......2

Request-95

संख्या-1363(1)/दो-4-2009-45(12)/91टीसी, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि उपर्लिखित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0 प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक वित्तीयप्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ
7- सूचना निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ।
8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0 प्र0,
9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1,2,3, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
13- इरलाचेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 सचिवालय।
14- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद
15- समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- श्री शीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
17- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा0 उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक), 21 राउज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।

Request-95

रजिस्टर्ड

संख्या–1705/दो–4–2011–45(12)/91टी.सी.

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी,2011

विषय– प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–363/दो–4–2009–45(12)/91टी.सी. दिनांक 13.5.2009 में शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ चयन के समय स्नातकोत्तर उपाधि धारक, न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों/अधिकारियों को प्राप्त होगा। फिर भी आपके विभिन्न पत्रों में वांछित 05 बिन्दुओं के संदर्भ में बिन्दुवार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित सारिणी में दिये गये यथोचित उत्तरानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कमांक	मा0 उच्च न्यायालय का प्रश्न	उत्तर
1.	क्या दिनांक 21.3.2002 को स्नातकोत्तर उपाधि धारक सेवारत एवं सेवानिवृत्त सभी न्यायिक अधिकारियों को 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी?	नहीं
2.	क्या दिनांक 21.3.2002 के बाद एलएल.एम. उपाधिधारक न्यायिक अधिकारियों को भी 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।	चयन के समय ही दिनांक 21.3.2002 एवं उसके बाद एलएल.एम उपाधि धारक उक्त अधिकारियों को ही उक्त सुविधा प्राप्त होगी
3.	क्या केवल ऐसे न्यायिक/उच्चतर न्यायिक अधिकारियों को जिन्होंने चयन के समय अपने आवेदन पत्र में जो कि लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रस्तुत किया गया था में स्नातकोत्तर उपाधि का जिक किया था उन्हें ही 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी?	जी हाँ।

Request-95

4.	क्या 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि ऐसे न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सीधी भर्ती के अधिकारियों को ही देय होगी जो दिनांक 21.3.2002 एवं उसके बाद चयन के समय एलएल.एम. डिग्री रखते थे?	जी हाँ
5.	क्या उक्त शासनादेश संख्या–1363/दो–4–2009–45(12)/91टी.सी. दिनांक 13.5.2009 में प्रदत्त 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि की सुविधा के साथ मंहगाई भत्ता भी देय होगा।	जी हाँ, चूंकि मंहगाई भत्ता वेतन का भाग होता है अतः ऐसे अग्रिम वेतन वृद्धि पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
संयुक्त सचिव।

Request-95

प्रेषक,

श्रीमती अंजना,
अपर सिविल जज (प्रवर वर्ग)
रामपुर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा :- माननीय जनपद न्यायाधीश,
रामपुर।

विषय:- प्रथम राष्ट्रीय वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 21.3.2002 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं वर्तमान समय में अपर सिविल जज (प्रवर वर्ग) के पद पर जनपद रामपुर में नियुक्त हूँ। मैंने इस न्यायिक सेवा में दिनांक 02.01.2004 को कार्यभार ग्रहण किया था।

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या- 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. नियुक्ति विभाग, 4 दिनांक 13.5.2009 के अनुसार ऐसे न्यायिक अधिकारियों जिनके द्वारा विधि से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की गयी है, उन्हें तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान किया जाना है।

मैंने वर्ष 1995 में विधि स्नातक की उपाधि चौधरी चरन सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्राप्त की थी तथा वर्ष 1999 में मैंने विधि स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) की उपाधि चौधरी चरन सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्राप्त की है। मैंने इस न्यायिक सेवा में पद भार ग्रहण करने से पूर्व विधि स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करली थी।

अत: श्रीमानजी से सादर निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार मुझे तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने का आदेश पारित किये जाने की कृपा की जाये।

सादर।

दिनांक :- 07.07.2009

भवदीया,
Anjana 07/7/09
(श्रीमती अंजना)
अपर सिविल जज (प्रवर वर्ग)
रामपुर।

संलग्नक:- 1. शासनादेश की छाया प्रति।
2. विधि स्नातकोत्तर उपाधि की प्रमाणित छाया प्रति।

NO-558/I Dated: July 08, 2009
District Judge-RAMPUR

Request - 95

क्रमांक / Serial No. 501439

नामांकन सं. / Enrolment No. N 8 908550

अनुक्रमांक / Roll No. L554068

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

विधि निष्णात

प्रमाणित किया जाता है कि (कु०) अन्जना

को इस विश्वविद्यालय से सन् १९९९ की परीक्षा में **विधि निष्णात** की

उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्रदत्त की गयी है।

MASTER OF LAWS

This is to certify that Km. Anjana

has been conferred the Degree of **MASTER OF LAWS** of this

University in the Examination of 1999 and that he / she was

placed in Second Division.

Photo copy Attested

2-3-12

सी० जे० एम०

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Dated 30-06-2000

कुलपति

Vice-Chancellor

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.05 15:12:24 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad